


9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय



(राज बहादुर सिंह चौहान)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
अयोध्या।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र० लखनऊ।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
6. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
7. प्रबन्धक डी०आर०एम० पब्लिक स्कूल गंजा, अयोध्या।
8. गार्ड फाइल हेतु।

(राज बहादुर सिंह चौहान)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
अयोध्या।